न्यायालय तहसीलदार सरदारशहर

पीठासीन अधिकारी श्री हनुमान सिंह RTS सरदारशहर

प्र0सं. 24/2021 अन्तर्गत भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 सरकार **बनाम** कृष्ण परनामी गोशाला सेवा समीति, अध्यक्ष मांगीलाल पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी उडसर लोडेरा तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

:–निर्णय:–

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का उडसर लोडेरा ने रिपोर्ट पेश कर अंकित किया कि **कृष्ण परनामी गोशाला सेवा समीति, अध्यक्ष मांगीलाल पुत्र भंवरलाल जाति ब्राह्मण निवासी उडसर लोडेरा तहसील सरदारशहर जिला चूरू** द्वारा रोही मौजा उडसर लोडेरा के खसरा नं0 323 तादादी 10.63 हैक्टे. गैर मुमकिन गोचर में से 2.20 हैक्टे. भूमि पर नाजायज रूप से टीन शेड व तारपट्टी रोपकर अतिक्रमण किया गया है। जिसकी पुष्टि संबंधित हल्के के भू.अ.नि. द्वारा भी की जा चुकी है।

हमने पटवारी व भू.अ.नि. की रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के अन्तर्गत दर्ज किया। अप्रार्थी को धारा 91 के अन्तर्गत नोटिस जारी किया। नोटिस की अप्रार्थी को विधिवत तामील हो चुकी है। तामील के प्रत्युतर में अप्रार्थी गोशाला अध्यक्ष ने उपस्थित होकर जवाब प्रस्तुत किया व निवेदन किया कि हमने गोवंश की सेवा के लिए गोचर भूमि पर अतिक्रमण कर रखा है। हमने सिर्फ गोवंश की सेवा के लिए टीन शैड व तारपट्टी कर रखी है हमारा गोचर पर अतिक्रमण करने का अन्य कोई औचित्य नहीं है।

इसी बीच अप्रार्थी अध्यक्ष व [illegible] के [illegible] ने श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय के समक्ष [illegible] प्रस्तुत कर पूर्व [illegible] गठित टीम द्वारा चिन्हित किये गये अतिक्र[illegible] को गलत बताते हु[illegible] वादगत भूमि का पुनः सीमाज्ञान करवाने हेतु निवेदन किया। हमनें न्याय हित में श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय के आदेशानुसार पुनः टीम गठित कर दुबारा सीमाज्ञान करवाया। दुबारा गठित टीम

तहसीलदार (राजस्व) सरदारशहर (चूरू)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh
Date: 2022.02.28 16:19:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

की रिपोर्ट के अनुसार पूर्व गठित टीम की रिपोर्ट को सही व सारभूत बताया गया। उक्त रिपोर्ट के आधार पर हमनें पत्रावली में जवाब कार्यवाई बंद कर पत्रावली को वास्ते निर्णय दिनांक 18.02.2022 में रखा।

हमने पत्रावली का अद्योपांत अध्ययन किया। हल्का पटवारी रिपोर्ट, पत्रावली में उपलब्ध सारभूत तथ्यों व पुनः गठित टीम की रिपोर्ट तथा अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत सारहीन जवाब से अप्रार्थी का ख.नं. 323 की 2.20 हैक्टे. भूमि पर अवैध कब्जा होना प्रमाणित होता है। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है तथा अप्रार्थी पर भू. राजस्व का 50 गुना अर्थात् रूपये 220 तावान अधिरोपित किया जाता है। हल्का पटवारी तावान राशि कायम कर अप्रार्थी से वसूल कर राजकोष में जमा करवायें। भू.अ.नि. वृत जयसंगसर को आदेशित किया जाता है कि अतिक्रमी को मौके से बेदखल कर पालना रिपोर्ट 15 दिवस में पेश करे।

पत्रावली निर्णय में शुमार की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही अभिलेखागार में भेजी जावें। निर्णय आज दिनांक 18.02.2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(हनुमान सिंह)
तहसीलदार
तहसीलदार (राजस्व)
[illegible] शहर

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Singh
Date: 2022.02.28 16:19:17 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner